न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

1

प्र0क0 361 / 2013 अ0फौ० संस्थिति दिनांक 11.11.2013

- 1. गंगासिंह पुत्र साधू सिंह आयु 50 वर्ष।
- 2. गुटई पुत्र गंगासिह उम्र 26 वर्ष।
- 3. केदारसिंह पुत्र गंगासिंह उम्र 23 वर्ष।
- हेतराम पुत्र गंगासिंह उम्र 22 वर्ष, जाति कुशवाह।
 समस्त निवासी ग्राम मनोहर का पुरा, थाना
 एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।
 अपीलार्थी / आरोपी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी एण्डोरी तहसील गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०।

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थीगण द्वारा श्री अवध विहारी पारासर अधिवक्ता प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए०पी०पी० न्यायालय श्री एस०के०तिवारी, जे०एम०एफ०सी० गोहद द्वारा दाण्डिक प्रकरण कमांक ०७ / २०१२ में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक १७—१०—२०१३ से उत्पन्न दाण्डिक अपील कमांक ०७ / २०१२

// निर्णय// (आज दिनांक 28—8—2015 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374 दं.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है जिसमें कि अपीलार्थी ने न्यायिक दंण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी— श्री एस०के०तिवारी के द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 07/2012 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र एण्डोरी वि० गंगासिंह आदि में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 17.10. 2013 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण/आरोपीगण को आहत/फरियादी पुरूषोत्तम के संबंध में आरोपी केदारसिंह एवं

कुटई को धारा 323 भा0दं0वि0 के तहत तीन—तीन माह के सश्रम कारावास एवं पांच—पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड से एवं आहत कलावती के संबंध में सभी आरोपीगण को धारा 323/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दोषसिद्ध टहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं तीन सौ—तीन सौ रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने एवं अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह का सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

02. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 23.12.11 को फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट की, कि उसने गंगासिंह के टैक्टर से खेत जुतवाया था जिसके कुछ पैसे रह गए थे। फरियादी अपने घर के सामने आग जलाकर ताप रहा था, उसका लडका लाखन व भतीजा मुकेश भी वहीं पर बैठे हुए थे। तभी गंगासिंह, केदारसिंह, गुटई व हेतराम लाठियाँ लेकर आए और बोले कि मादरचोद पैसा देता है कि नहीं तब फरियादी ने कहा कि उसके पास अभी पैसा नहीं है बाद में दे देगा। इसी बात पर केदार व गुटई ने उसे सिर में लाठी मारी जिससे खून निकल आया। गंगासिंह व हेतराम ने लाठी मारी जो उसके कमर में लगी। उसका लडका लाखन व भतीजा मुकेश व कलावती बचाने आई तो आरोपीगण ने कलावती को धक्का दिया जिससे उसे चोटें आई। जाते समय गंगासिंह बोला कि अगर पैसा नहीं दिया तो जान से मार देगें। उक्त रिपोर्ट पर से थाना एण्डोरी में अपराध कमांक 156/11 धारा 323, 294, 506बी भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया। घायलों का मेडीकल परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, आरोपीगण को गिरफ्ता किया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 294, 323/34 दो काउंट, 506भाग—2 भा0दं0वि0 के संबंध में अपराध की विशिष्टियाँ तैयार कर उसे पढ़कर सुनाई समझाई गई आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 17—10—2013 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपी को कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दंण्डित किया गया ।

05. अपीलार्थी / आरोपी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान के एवं रिकार्ड के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में साक्षियों के कथनों में आए हुए अत्यधिक विरोधाभाष होने पर ही आलीच्य निर्णय पारित किया गया है जबिक प्रकरण के फरियादी के द्वारा अपने कथन में रिपोर्ट न लिखाने की बात बताई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध

में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाष एवं बिसंगतियाँ आई है एवं उनके द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन भी नहीं किया गया है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डादेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध व दण्डादेश को अपास्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

- 06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 17.10.2013 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

::- निष्कर्ष के आधार-::

- 08. चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ०सा० 4 जिन्होंने कि आहत पुरूषोत्तम व आहता कलावती का चिकित्सीय परीक्षण किया है ने अपने साक्ष्य कथन में आहत पुरूषोत्तम के सिर पर फटा हुआ घाँव, कमर के पीछे, दाहिनी कोहनी और वाई कोहनी पर रगड के निशान होना पाये थे तथा आहता कलावती को दाहिनी कोहनी पर रगड और वाए हाथ में रगड का निशान होना पाये थे जो कि चोटें साधारण प्रकृति की होना बताया है। इस प्रकार घटना के पश्चात् आहत पुरूषोत्तम एवं आहत कलावती के शरीर पर उक्त चोटें मौजूद थी।
- 09. घटना के फरियादी / आहत पुरूषोत्तम अ0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में बताया कि दिनांक 23 और 12वे महीना की घटना है साल याद न होना बता रहा है, शाम के पांच बजे वह अपने दरवाजे पर आग जला रहा था। इसी दौरान आरोपी गुटई, कैलाश, हेतराम उसके पास आए और दो सौ रूपए उस पर बकाया होना बताते हुए उससे पैसों की मांग करने लगे और उसके साथ गाली गलोज करने लगे जो कि उक्त आरोपियों के अलावा आरोपीगण के पिता गंगासिंह भी वहाँ पर आ गए और जान से मारने के लिए कहने लगे। उसने कहा कि उसके पास पैसा नहीं है तथा उसे गालियाँ देने लगे। अरोपी गुटई ने लाठी सर में मारी गई और केदार ने सर के पीछे गर्दन में लाठी मारी। उसकी माँ कलावती बीच बचाव करने आई

उसे भी केदार ने धक्का दिया जिससे वह गिर गई फिर रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे और गोहद अस्पताल मेडीकल परीक्षण भी हुआ था। रिपोर्ट प्र.पी. 1 पर उसके हस्ताक्षर है।

- फरियादी पुरूषोत्तम के द्वारा किये गये कथन का समर्थन कलावती अ०सा० 1 के द्वारा करते हुए बताया है कि पैसा मांगने की बात को लेकर के आरोपीगण ने लाठियों से मारपीट की थी, उसने बीच बचाव किया तो उसे भी लाठी मारी गई थी। अन्य अभियोजन साक्षी सगुना अ०सा० २ ने भी आरोपीगण गुटई, केदार के द्वारा उसके पति को लाठी मारना और माथे व पीठ में लाठी लगी होना तथा उसकी सास कलावती को भी बीच बचाव में लाठी लगना बताया है। साक्षी लाखन ने भी चारों आरोपीगण हेतराम, गुटई, गंगासिह और केदार के ध ाटनास्थल पर आने तथा उसके पिता को हेतराम और केंदार के द्वारा लाठी से मारपीट करने एवं उसकी अम्मा (दादी) को धकेल देना बताया है।
- घटना के फरियादी व आहत एवं अन्य अभियोजन साक्षियों के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है। आहत पुरूषोत्तम के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आया है। यद्यपि साक्षी थाने में रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं लिखाई जानी बता रहा है और उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में यह बताया गया है कि वह वेहोश हो गया था और प्रतिपरीक्षण में भी उसके वेहोंश हो जाने के बारे में वह बता रहा है, जबकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं पुरूषोत्तम के द्वारा दर्ज कराई गई है। मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षी के द्वारा घटना में वेहोश हो जाने के बारे में बताया जा रहा है उसके सम्पूर्ण कथन को अविश्वसनिय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। उसने स्पष्ट तौर से आरोपी केदार और गुटई के द्वारा उसे लाठियाँ मारने की बात जो कि मुख्य परीक्षण में बताई है उसे प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट किया है। साक्षी के द्वारा आरोपीगण को घटना में झूठा लिप्त करने के लिए उनके विरूद्ध कथन किया जा रहा हो ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है।
- घटना की अन्य आहता कलावती स्वभाविक रूप से प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार की है कि लड़ाई में किसने किसको मारा वह ठीक से नहीं बता सकती। यह स्वभाविक है कि झगडे के समय जबकि लाठियों से मारपीट हो रही हो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि साक्षी यह देखता रहे कि कौन किसको लाठी मार रहा है, बल्कि उसमें मुख्य ध्यान आहत को बचाने का रहता है जैसा कि उक्त साक्षिया ने आहत को बचाने के लिए किया था और बीच बचाव करते दौरान उसे भी लाठी लगी हो ऐसा हो सकता है। इस प्रकार साक्षी कलावती के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में यह बात आई है कि लडाई में किसने किसको मारा वह ठीक से नहीं बता सकती, क्योंकि उसे ठीक से दिखाई नहीं पडता है। इस प्रकार साक्षिया के कथन के आधार पर चारों ही आरोपीगण के द्वारा घटना में मारपीट करने के तथ्य की कोई पुष्टि होनी नहीं मानी जा सकती।

- घटना की अन्य साक्षी सगुना अ०सा० २ जो कि आवाज सुनकर घटनास्थल पर 13. पहुची थी। यद्यपि उसके द्वारा यह बताया जा रहा है कि जब वह आई तब तक आरोपगण भाग चुके थे। प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार की है कि उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई थी, किन्तु निश्चित तौर से उक्त साक्षिया जो कि घटना के तुरंत पश्चात् घटनास्थल पर आई थी उसके द्वारा अपने पति को घायल अवस्था में देखा गया था और सास को भी चोटें देखी गई थी। घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी लाखन अ०सा० 5 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में उसके पतिा को लाठी केदार व हेतराम के द्वारा मारी जाने के संबंध में बताया है और उक्त दोनों के अलावा अन्य किसी के द्वारा लाठी से कोई मारपीट नहीं करना बताया है। साक्षी के द्वारा घटना के समय घटनास्थल पर चारों आरोपीगण के मौजूद होने के संबंध में बताया गया है। घटना के संबंध में साक्षी लाखन के कथन का जहाँ तक प्रश्न है। उक्त साक्षी के द्वारा आरोपी हेतराम ने उसके पिता पुरूषोत्तम को लाठी मारने के संबंध में बताया है, किन्तु इस संबंध में फरियादी पुरूषोत्तम के द्वारा कहीं भी हेतराम के द्वारा उसे लाठी मारने के संबंध में कोई बात नहीं बताई है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस आशय का कोई उल्लेख आया है। आरोपी केदार के द्वारा भी लाठी मारने के संबंध में वह बता रहा है। साक्षी के कथन के प्रतिपरीक्षण में जो कि वह नया तथ्य न्यायालय के समक्ष बता रहा है उसके साक्ष्य कथन को पूर्णतः अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि स्वयं फरियादी पुरूषोत्तम के द्वारा कहीं भी आरोपी हेतराम के द्वारा उसे मारपीट करने के संबंध में कोई बात नहीं बताई गई है। ऐसी दशा में साक्षी लाखन के कथन के आधार पर मारपीट की घटना हेतराम के द्वारा भी किया जाना के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। उक्त साक्षी के कथन के आधार पर कि सभी आरोपीगण के द्वारा घटना में भाग लिया गया है यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।
- 14. प्रकरण के विवेचना अधिकारी राधािकशन गोतम अ०सा० 6 जिनके द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई है। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 5 बनाया गया है और साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए है। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया है। विवेचक के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के पिरप्रेक्ष्य में घटना दिनांक को घटनास्थल पर आहत पुरूषोत्तम के साथ मारपीट की घटना जो कि लाठियों से उसे मारपीट करना आरोपी केदार एवं गुटई के द्वारा मारपीट कर चोटे पहुँचाई जाने के संबंध में आहत पुरूषोत्तम के द्वारा बताया गया है। साक्षी कलावती का कथन इस संबंध में अस्पष्ट है कि किस के द्वारा मारपीट की गई उसके कथन के पिरप्रेक्ष्य में पुरूषोत्तम के साथ अन्य सहआरोपीगण गंगािसह और हेतराम के द्वारा भी सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए मारपीट की घटना में भाग लेने का निष्कर्ष नहीं निकाला

जा सकता है। घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी लाखन के कथन के आधार पर मात्र आरोपी केदार के द्वारा उसके पिता पुरूषोत्तम को लाठी मारी जाने और कलावती को धक्का दिये जाने के संबंध में बताया है। इस प्रकार प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर आरोपी केदार एवं गुटई के द्वारा ही मारपीट की घटना में शामिल होना जिसमें कि आहत पुरूषोत्तम को चोटें आई और कलावती को भी धक्का लगने से चोटें आई जो कि फरियादी पुरूषोत्तम ने आरोपी केदार के द्वारा उसकी माँ को धक्का देकर गिराना बताया है। आरोपी गंगासिंह एवं हेतराम के द्वारा घटना में सकीय रूप से कोई भाग लिया गया हो या आरोपी गुटई और केदार के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए कोई घटना उनके द्वारा कारित की गई हो ऐसा कहीं भी प्रमाणित नहीं होता है। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण में मात्र गुटई एवं केदार के द्वारा स्वेच्छया पूर्वक कार्य करते हुए आहत पुरूषोत्तम को मारपीट कर उपहित कारित करना और कलावती को उक्त आरोपी के द्वारा मारपीट में धक्का देना और लाठी लगने से चोट आना का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है।

- तद्नुसार आरोपी केदार और गुटई को आहत पुरूषोत्तम के संबंध में धारा 323 भा0दं0वि० के आरोप हेतु एवं आहत कलावती के संबंध में धारा 323/34 भा0दं0वि० के आरोप हेतु दोषसिद्ध टहराया जा सकता है। अन्य आरोपीगण गंगासिंह एवं हेतराम के विरूद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।
- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में आरोपीगण गुटई एवं केदार को आहत पुरूषोत्तम के संबंध में स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित करने बावत् धारा 323 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दोषसिद्ध उहराया जाने में तथा उक्त दोनों आरोपीगण को आहत कलावती के संबंध में धारा 323/34 भा०दं०वि० के तहत दोषसिद्ध टहराये जाने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक या तथ्यात्मक त्रुटि की जानी नहीं पाई जाती है। उक्त आरोपीगण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पाई दोषसिद्धि स्थिर रखी जाती है।
- जहाँ तक आरोपी गंगासिंह और हेतराम का प्रश्न है। उक्त दोनों ही आरोपीगण जिन्हें कि आहता कलावती के साथ मारपीट करने के हेतु सहआरोपीगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में कार्य करते हुए मारपीट कर साधारण उपहति कारित करने बावत् दोषसिद्ध ठहराया गया है। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर उक्त दोषसिद्धि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, वह अपास्त की जाती हैं और उक्त दोनों ही आरोपी को आहता कलावती के संबंध में धारा 323/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत ठहराई गई दोषसिद्ध आपस्त कर उन्हें दोषमुक्त किया जाता है।
- आरोपी केदार और गुटई के सबंध में दण्ड का जहाँ तक प्रश्न है। आरोपीगण 18.

के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोनों ही आरोपीगण के विरूद्ध कोई पूर्व की दोषसिद्ध नहीं है और आरोपीगण नवयुवक है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में उचित रूप से विचार भी नहीं किया गया है। जबिक उन्हें आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधनों का लाभ दिया जाना चाहिए था। बैकल्पिक रूप से उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि आरोपीगण को जो दण्ड दिया गया है वह कठोर है। आरोपीगण सन् 2012 से लगातार न्यायालय में उपस्थित हो रहे है, उनका पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है और न ही आपराधिक प्रकृति के है।

- 19. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। सर्वप्रथम जहाँ तक आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस संबंध में विचार करते हुए प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितयों को देखते हुए परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया गया है। अपराध की प्रकृति एवं आरोपीगण की उम्र को देखते हुए उन्हें अपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।
- 20. जहाँ तक दण्ड का प्रश्न है। आरोपी केदार एवं गुटई को आहत पुरूषोत्तम के साथ मारपीट करने हेतु धारा 323 भाठदंठवि० के अंतर्गत तीन—तीन माह के सश्रम करावास एवं पांच सौ फपए के अर्थदण्ड से तथा आहता कलावती के संबंध में धारा 323/34 भाठदंठवि० के अंतर्गत न्यायालय से उठने तक के कारावास एवं तीन सौ तीन सौ रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया है। घटना जिसमें कि आहत पुरूषोत्तम को साधारण चोटें आई है। आरोपीगण का कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। आरोपीगण सन् 2012 से लगातार न्यायालय में उपस्थित हो रहे है। आरोपीगण को आहत पुरूषोत्तम के संबंध में धारा 323 भाठदंठवि० के अंतर्गत दिए गए कारावास के दण्ड को अपास्त कर अर्थदण्ड पांच सौ पांच सौ रूपए के स्थान पर 1000/— 1000/— रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाने का आदेश दिया जाता है। आहत कलावती के संबंध में उक्त आरोपीगण केदार व गुटई को प्रदत्त किया गया दण्ड यथावत रखा जाता है।
- 21. परिणामतः <u>अपीलार्थीगण / आरोपीगण</u> की ओर से प्रस्तुत वर्तमान दांडिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी / आरोपीगण गंगासिंह और हेतराम को धारा 323 / 34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध की दोषसिद्धि तथा दण्डादेश आपस्त किया जाता है और उन्हें धारा के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। उनके द्वारा जमा कराई गई अर्थदण्ड की राशि बापस की जाए।
- 22. अन्य आरोपी गुटई और केदार के संबंध में धारा 323 भा0दं0वि0 के अंतर्गत प्रदत्त की गई आहत पुरूषोत्तम के संबंध में दिए गए तीन माह के सश्रम कारावास को अपास्त करते हुए उसके स्थान अर्थदण्ड की राशि 500/— रूपए बढाकर उसे 1000/— रूपए किये

जाने का आदेश दिया जाता है। आहता कलावती के संबंध में धारा 323/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दी गई न्यायालय उठने तक की सजा और 300/— 300/— रूपए अर्थदण्ड यथावत रखा जाता है। आरोपी केदार और गुटई के द्वारा जमा कराई गई पूर्व की अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित अर्थदण्ड में समायोजित की जावे। अर्थदण्ड की राशि तीन दिवस के अंदर अधीनस्थ विचारण न्यायालय में जमा कराए अन्यथा दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा उन्हें भुगताई जाए। आदेश की एक प्रतिलिपि सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख बापस भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (डी०सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड